

ई-मेल

पत्राक-1/वज्रट (योजना)-गि0-53/2017 939

बिहार सरकार

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

पत्राक  
विनय कुमार  
संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

संका सं.

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रसंगल, भवन निर्माण विभाग,  
भोजपुर (आरा)।

पटना, दिनांक:- 26.09.2020

विषय:- भोजपुर जिलान्तर्गत अवर निबंधक, जगदीशपुर के सरकारी आवासीय भवन के नवनिर्माण, चहारदिवारी के निर्माण एवं अन्य निमित्त कार्य हेतु तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलित राशि 4498000/- (चौवालीस लाख अठानवे हजार) रूपये पर निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2986 दिनांक 12.09.2019 को रद्द करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्राक-2068 दिनांक 18.10.2019 के आलोक में कहना है कि अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-6847 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा भोजपुर जिलान्तर्गत अवर निबंधक, जगदीशपुर के सरकारी आवास के नवनिर्माण हेतु तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलित राशि 2315882/- (तेइस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ बेरासी) रूपये पर विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2056 दिनांक 01.08.2018 के द्वारा विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की गयी।

पुनः अवर निबंधक, जगदीशपुर के उसी सरकारी आवास के नवनिर्माण के साथ-साथ जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, चहारदिवारी, पहुँचपथ आदि कार्यों की वृद्धि करते हुए अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-7537 दिनांक 20.08.2019 के द्वारा प्राप्त तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलित राशि 4498000/- (चौवालीस लाख अठानवे हजार) रूपये पर विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में स्वीकृत्यादेश संख्या-2986 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की गयी।

आपके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2056 दिनांक 01.08.2018 के आलोक में निवेदिता प्रक्रिया, एकरारनामा होने के पश्चात् कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

अतः आपके द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में अवर निबंधक, जगदीशपुर के उसी सरकारी आवास के नवनिर्माण के साथ-साथ जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, चहारदिवारी, पहुँचपथ आदि कार्यों की वृद्धि करते हुए अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-7537 दिनांक 20.08.2019 के द्वारा प्राप्त तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलित राशि 4498000/- (चौवालीस लाख अठानवे हजार) रूपये पर निर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-2986 दिनांक 12.09.2019 को रद्द किया जाता है। सरकारी आवास के अतिरिक्त अन्य कार्यों का प्राक्कलन अलग से प्राप्त होने पर अतिरिक्त कार्यों का पुनः प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु कार्रवाई की जायेगी।



विश्वासभाजन

(विनय कुमार)

संयुक्त सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापिकांक:-1/बजट (योजना)-नि0-53/2017 933

पटना, दिनांक:- 20.02.2020

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं हक0) वीरचन्द्र पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापिकांक:-1/बजट (योजना)-नि0-53/2017 933

पटना, दिनांक:- 20.02.2020

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापिकांक:-1/बजट (योजना)-नि0-53/2017 933

पटना, दिनांक:- 20.02.2020

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा/योजना शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापिकांक:-1/बजट (योजना)-नि0-53/2017 933

पटना, दिनांक:- 20.02.2020

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापिकांक:-1/बजट (योजना)-नि0-53/2017 933

पटना, दिनांक:- 20.02.2020

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग भवन अंचल, आरा तथा जिला अवर निबंधक, भोजपुर, आरा एवं अवर निबंधक, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापिकांक:-1/बजट (योजना)-नि0-53/2017 933

पटना, दिनांक:- 20.02.2020

प्रतिलिपि:-अपर निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी विभागीय बजट/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।